नि.॥/3084/ABR/15 (1)

समक्ष :- माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)
द्वारा - कलेक्टर महोदय बैतूल

1.सूरजलाल पिता रंजीसा गोंड

2.रामदयाल व. सुक्कु गोंड

दोनो निवासी :- आमाडोह त.मुलताई जिला बैतूल

..........आवेदनकर्ता गण

कार्यालय कलेक्टर बैतूल
2015

बनाम

1. झनकलाल व.रावजी जाति मेहरा निवासी :- जबाड़ी त. मुलताई जिला बैतूल
2. टमरलाल व. पारन्या जाति मेहरा निवासी :- आमाडोह त.मुलताई जिला बैतूल
3. बिरजी बाई पुत्री काशीराम पंवार
4. केसर बाई पुत्री काशीराम पंवार
5. हेमराज पिता छुट्टन पंवार
6. भूरा पिता छुट्टन पंवार
7. माखन पिता छुट्टन पंवार
8. कैलाश पिता छुट्टन पंवार समस्त 3 से 8 तक निवासी :- परमंडल त.मुलताई जिला बैतूल
9. मनोरमा पुत्री छुट्टन पंवार
10. मंजु पुत्री छुट्टन पंवार
11. लीलावती पिता छुट्टन पंवार समस्त 9 से 11 तक निवासी :- चौथिया त.मुलताई जिला बैतूल
12. सुंदर पति भजन पंवार
13. गणपति पिता भजन पंवार
14. किशोरी पिता भजन पंवार
15. फुलन पुत्री भजन पंवार
16. तुलस पुत्री भजन पंवार
17. लुगर पिता भजन पंवार
18. शिवाजी पिता धन्नू पंवार

समस्त 12 से 18 तक निवासी :- परमंडल त.मुलताई जिला बैतूल ।

266

6792

क्रमांक..........
रजिस्टर्ड ....
दिनांक 9-15
क्लर्क ...
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.न.
वर्ष
-52
द्वारा
करते
राम धुंधु
र अपना
जानकारी
रण मे गैर

19\. म.प्र. शासन द्वारा जिला कलेक्टर बैतूल

<u>रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959</u>

विनय ओर से रिविजनकर्ता गण

माननीय अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के अपील रा.प्र.क्र. 5 अ/06 वर्ष 12-13 आदेश दिनांक 25/06/2014 के आलोच्य आदेश से व्यथित होकर रिविजनकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मे एक रिट पिटिशन क्र. 3576/2015 प्रस्तुत की थी जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16/06/2015 को एक आदेश पारित कर माननीय अनुविभागिय अधिकारी मुलताई के आलोच्य आदेश दिनांक 25/06/2015 के विरूद्ध रिविजन प्रस्तुत करने हेतू आदेशित किया गया है जिसके परिपालन मे उक्त रिविजन प्रस्तुत है ।

-: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की रिविजनकर्ता का वंश वृक्ष इस प्रकार है ।

अजब गोंड (मुल पुरूष)

झलकु (पुत्र फौत) → सुकु (फौत) → रामदयाल

रंजिशा (पुत्र) → सुरजलाल

अजब गोंड के पास मौजा आमाडोह प.ह.न. 29 मे ख.न. 75,77,78,79,182,188, कुल रकबा 57.40 एकड भूमि वर्ष 1947-48 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी । उक्त भूमि पर सन 1951-52 मे काशीराम व.पून्या पंवार , धुंधु व पुन्या पंवार निवासी परमंडल द्वारा अजब व. झामू गोंड निवासी आमाडोह से उक्त पर भूमि ठेका कास्त करते थे ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3084–पीबीआर/15 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–1–2016	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–6–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रश्नाधीन भूमि पर पूर्व में नामांतरण की कार्यवाही की गई है, और नामांतरण उपरांत अनावेदकगण भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चले आ रहे हैं, अतः एक बार किये जा चुके नामांतरण के विरूद्ध पुनर्विलोकन की अनुमति अथवा अपील किये बिना दोबार नामांतरण की कार्यवाही म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के विपरीत है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–11–84 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13–8–84 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को उचित कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाकर 30 वर्ष पश्चात अनावेदकगण का नाम निरस्त कर आवेदकगण का नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण की अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	